PDF Compressor Free Version

FRA

(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Bundi

No.:- 8-5(37)06/Rev/ 14848 Dated:- 20.09.2017

*TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN*

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers ( Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 18.567 hectare of forest land proposed to be diverted in favor of irrigation department of Rajasthan for construction of Gararda dam canal (irrigation project) in village of Anopupra, Mandavari, Holaspura, Bhairupura, Sarwan ki jhopariyan, Loicha, Banki Tahsil Bundi District Bundi (Khasra number and area list enclosed) in the State of Rajasthan.

It is further certified that

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 18.567 hectares of forest Area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s). Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: as above

(Shivangi Swarnkar)
District Collector and District Magistrate
Bundi

PDF Compressor Free Version

148

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी

क्रमांक :– अ.अ. / ज.सं.परि. / तक. / 2016 / 570 दिनांक :– 16/2/17

श्रीमान् जिला कलक्टर,
बून्दी।

2156
17.2

विषय :– गरड़दा बांध की नहरों के निर्माण हेतु FCA प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गरड़दा बांध की नहरो के निर्माण हेतु 18.573 हैक्टेर वन भूमि के प्रत्यवार्तन के सन्दर्भ में श्रीमान् की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2016 की बैठक में कमेठी द्वारा प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में अभिशंषा कर दी गई है। इसी सन्दर्भ मे उच्चाधिकारियों द्वारा पालना रिपोर्ट मांगी जा रही है, अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नहरो के निर्माण हेतु FCA प्रमाण पत्र जारी करने का श्रम करे।

संलग्न :–

1. बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 13.10.2016
2. ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही रिपोर्ट।
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा की गई बैठक कार्यवाही विवरण।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन परि0 खण्ड, बून्दी

1994
17.2.17



D:\Backup 14.7.11\Nahar\B.L.Meena ji\B.L. Meena Technical Letter.doc

PDF Compressor Free Version

149

1266 / 13.X.2016

# कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

## बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.10.2016 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के संशोधित नियम 2012 जिला स्तरीय समिति बून्दी की बैठक आयोजित की गई। बैठक मे अधोलिखित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1 जिला कलक्टर, बून्दी
2 उपवन संरक्षक वन विभाग, बून्दी (94140–54090)
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी (94144–88667)
4 श्री मुरली प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 12 (94140–43777)
5 श्री महेश कुमार, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 14 (95717–03655)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 07.09.2016 का कार्यवाही विवरण पत्र संख्या 1203 दिनांक 09.09.2016 से जारी किया जाकर सभी को भिजवाया जा चुका है। बैठक में एजेण्डा के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एजेण्डावार निम्न प्रकार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

एजेण्डा संख्या 1 :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि गत बैठक दिनांक 07.09.2016 मे लिये गये निर्णय के अनुसार जल संसाधन परियोजना खण्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार 18.573 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध मे प्राप्त प्रस्ताव एवं पत्रावली उपवन संरक्षक वन विभाग बून्दी को भिजवाई गई जो वांछित कार्यवाही उपरान्त पत्र संख्या 12651 दिनांक 21.09.2016 से प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अधिशाषी अभियंता जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी के पत्र संख्या 4464 दिनांक 27.09.2016 के अनुसार उक्त भूमि गरडदा बांध की नवीन नहरो के निर्माण हेतु आवश्यकता होने से अवगत कराया है।

बैठक मे परियोजना खण्ड को ग्राम अनोपपुरा, बांकी, मण्डावरी, श्रवण की झोपडिया, होलासपुरा, भैरूपुरा एवं लोईचा (पंस. बून्दी) की 18.573 हैक्टर वन भूमि पर गरड़दा बांध की नहरो के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत विचार किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव, ग्राम सभा का अनुमोदन एवं उपखण्ड स्तरीय समिति, बून्दी की बैठक दिनांक 04.08.2016 मे नीचे अंकित 7 ग्रामो की 18.573 हैक्टर वन भूमि को प्रत्यार्वतन करने हेतु सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव किया गया है:–

| ग्राम का नाम | खसरा नं0 | कुल क्षेत्रफल | प्रत्यार्वतन हेतु वन भूमि (हैक्टर) |
|---|---|---|---|
| अनोपपुरा | 65 | 8.950 | 0.185 |
| | 107 | 5.808 | 0.492 |
| | 106 | 11.526 | 0.176 |
| | 112 | 9.266 | 0.055 |
| | 186 | 14.701 | 0.447 |
| | 196 | 13.927 | 0.516 |
| | 194 | 15.552 | 0.481 |
| | 195 | 10.935 | 0.254 |
| | 214 | 15.552 | 0.458 |
| | 217 | 10.06 | 0.046 |
| | 216 | 11.632 | 0.366 |
| | 255 | 15.795 | 0.326 |
| | 250 | 8.358 | 0.194 |
| | 230 | 10.368 | 0.294 |
| | 231 | 7.776 | 0.324 |
| | 232 | 10.368 | 0.300 |
| | 233 | 8.002 | 0.102 |

PDF Compressor Free Version



| | खसरा नं0 | कुल क्षेत्रफल | प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि (हैक्टर) |
|---|---|---|---|
| | 224 | 11.34 | 0.444 |
| | योग | | 0.664 |
| डांकी | 15 | 34.781 | 0.664 |
| | 16 | 34.997 | 0.545 |
| | 11 | 28.787 | 0.424 |
| | 2 | 3.63 | 0.201 |
| | 3 | 33.259 | 0.295 |
| | 1 | 40.346 | 1.562 |
| | 5 | 21.983 | 0.495 |
| | 1712 | 14.93 | 0.199 |
| | 1713 | 24.00 | 0.561 |
| | 1715 | 4.62 | 0.143 |
| | योग | | 5.089 |
| भण्डावरी | 23 | 109.795 | 1.036 |
| | 16 | 19.44 | 0.349 |
| | 1 | 34.789 | 0.791 |
| | 2 | 22.413 | 0.174 |
| | योग | | 2.350 |
| डोलासपुरा | 293 | 3.337 | 0.202 |
| | 292 | 32.27 | 0.826 |
| | 290 | 5.929 | 0.312 |
| | 291 | 22.048 | 0.030 |
| | 294 | 19.278 | 0.198 |
| | योग | | 1.568 |
| भैरूपुरा बरड | 318 | 11.664 | 0.090 |
| | 168 | 30.326 | 0.822 |
| | 310 | 21.4 | 0.498 |
| | 308 | 19.16 | 0.619 |
| | 316 | 8.936 | 0.175 |
| | 317 | 9.88 | 0.282 |
| | योग | | 2.486 |
| श्रवण की झौपडिया | 30 | 4.649 | 0.229 |
| | 31 | 4.706 | 0.408 |
| | 32 | 4.087 | 0.402 |
| | योग | | 1.039 |
| लोईचा | 1 | 9.072 | 0.348 |
| | 4 | 1.828 | 0.227 |
| | योग | | 0.575 |

उपरोक्त वर्णित 18.573 हैक्टर वन भूमि हेतु कोई दावा जिला स्तरीय समिति, बून्दी के समक्ष विचाराधीन नही है। अतः जिला स्तरींय समिति उपरोक्त 18.573 हैक्टर वन भूमि को गरड़दा बांध की नहरो के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

<u>एजेण्डा संख्या</u> 2 :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री कैलाश चंद आ0 गोतीराम मीणा निवासी बिशनपुरा ग्राम पंचायत थाना के द्वारा जिला स्तरीय समिति को अपील प्रेषित की गई है। दिनांक 16.05.2016 को प्रार्थी उपस्थित नही होने से समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थी आज सुनवाई हेतु उपस्थित हुए है।

प्रार्थी की दावा संबंधी पत्रावली एवं अपील का विस्तार से अध्ययन किये जाने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा आवास हेतु खसरा न0 867 ग्राम बिशनपुरा तह0 हिण्डोली मे 2 बीघा हेतु दावा

PDF Compressor Free Version



प्रेषित किया गया है जिसे ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा भी अनुमोदन किया गया है। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति हिण्डोली के पत्र संख्या 3753 दिनांक 17.12.2015 से खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्णय से व्यतीत होकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को निर्धारित अवधि मे अपील करने पर दावा पत्रावली मे 13.12.2005 से पूर्व कब्जा प्रमाणित करने के संबंध मे प्रथम साक्ष्य के रूप मे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की पुस्तक संख्या 7338 रसीद संख्या 18 दिनांक 22.04.2004 एवं द्वितीय साक्ष्य के रूप मे जुलाई 1989 मे गृह प्रवेश का निमंत्रण कार्ड, ग्राम विशनपुरा 82 वर्षीय निवासी श्री भूरा आ0 गोपी मीणा एव 80 वर्षीय फुमा बाई पत्नि जगन्नाथ मीणा के बयान प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पत्रावली का विस्तृत अध्ययन कर प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का आवास हेतु प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाता है। वनाधिकार पत्र जारी करने से पूर्व वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कराया जावे तथा मौके के अनुसार खसरा नं0 एवं आवास का वास्तविक क्षेत्रफल फीट X फीट मे आवास के वर्तमान फोटो तथा इसका जीपीएस कोर्डिनेट लिया जावे एवं अधिकार पत्र मे इसका उल्लेख किया जावे। —'A'

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक कार्यवाही विवरण संख्या 1140 दिनाक 26.07.2016 से इस हेतु निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया हुआ है जो निम्न प्रकार है:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी | सदस्य |
| 2. | संबंधित तहसीलदार या प्रतिनिधि (आईएलआर स्तर से कम नही) | सदस्य |
| 3. | संबंधित पटवारी | सदस्य |
| 4. | पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति, हिण्डोली | सदस्य सचिव |

जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त गठित कमेटी को प्रार्थी की दावा पत्रावली भिजवाने का निर्णय लिया गया तथा जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण मे 15 दिवस मे रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

अन्य :-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी सदस्यो को अगवत कराया गया है कि हिण्डोली क्षैत्र से संबंधित 12 अपीलो का गठित कमेटी द्वारा 2 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नही की गई है। इसी प्रकार पंचायत समिति बून्दी की 6 अपीलो के संबंध मे दिनांक 17.05.2016 को बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार मूल पत्रावलियो से संबंधित रिपोर्ट तथा मूल पत्रादि नही होने की स्थिति मे नवीन पत्रादि तैयार कर भिजवाने की कार्यवाही उपखण्ड स्तर पर अब तक विचाराधीन है।

जिला कलक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति, बून्दी को 6 अपीलो की मूल दावा पत्रावलिया एवं हिण्डोली क्षैत्र की लम्बित अपीलो के संबंध मे वांछित रिपोर्ट देने हेतु गठित कमेटी को 15 दिवस मे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जावे।

इसके पश्चात सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

क्रमांक:-वन अधि./जल संसाधन/2016-17/1266 दिनांक : 13 .10.2016

प्रतिलिपि :-

1. उप वन संरक्षक वन विभाग, बून्दी।
2. श्री मुरली प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या 12 ग्राम करवाला तह0 के.पाटन।
3. श्री महेश कुमार, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या 14 ग्राम झाली जी का बराणा, तह0 के.पाटन।
4. श्रीमती प्रसन्न मीणा जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 19 ग्राम डेलपुरा, पंचायत, गुढादेवजी, तह0 नैनवां।
5. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली/बून्दी।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर, बून्दी।
8. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी।
9. पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली एवं कमेटी सदस्य सचिव को श्री कैलाश चंद आ0 मोती राम मीणा निवासी विशनपुरा की दावा पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

## ग्राम निमय

दिनांक 31/5/2016

आज दिनांक 31/5/2016 को वन भूमि के अन्तर्गत व PMAY के तहत SECC 2011 से प्राप्त लाभार्थियों की पात्रता की जांच कर अंतिम सूची के अवलोकन व आपत्तियां प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा का आयोजन सरपंच साहब श्रीमान शिवराज जी गुर्जर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत मुख्यालय [illegible] गयी / ग्राम सभा बैठक में निम्नलिखित जनप्रतिनिधि / कर्मचारियों / अधिकारियों ने भाग लिया —

1. श्रीमान शिवराज जी गुर्जर (सरपंच) — [signature]
2. धनराज मीणा (उपसरपंच) — [signature]
3. मोहन लाल जी जैन (~~वार्ड पंच~~) — मोहनलाल
4. रामविलास जी [illegible]
5. दिनेश कुमार त्रिपाठी कृषक मित्र — [signature]
6. ममता शर्मा (आशा सहयोगिनी मण्डावरा) — ममता शर्मा
7. मन्जू कुमारी (कार्यकर्ता पराणा मीणा) — कार्यकर्ता मन्जू कुमारी
8. महावीर प्रसाद मीणा (क० ल० सहायक प० स० पु०) — [signature]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.518 | 40.346 | T | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

ग्रामसभा बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिए गए —

प्रस्ताव सं. (1) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुसरण एवं नियम 11(5) में विनिर्दिष्ट तरीकों के निर्वहन में वन अधिकार समिति द्वारा अभिलिखित ग्राम बांसी की वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया गया और पाया कि जल संसाधन विभाग (17 मीटर दिए गए विवरण की वन भूमि को 13.12.2005 से पूर्व अपने अधिभोग में ले रहा है। (2) प्रकट भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है एवं अपनी आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है। अतः ग्राम सभा द्वारा जल संसाधन विभाग को ग्राम बांसी में उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है —

| ग्राम | खसरा नम्बर | खसरा नं. का कुल हेक्टेयर | अधिभोग की वन भूमि का हेक्टेयर | अधिभोग का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| बांसी | 15 | ३५.७८१ | 0.664 | लघु सिंचाई नहरों हेतु |
| | 16 | ३५.९५२ | 0.545 | |

रमेश

नेकाराम

रतना

जसोदा

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.983 | 0.495 | ईश्वरराज | |
| 1712 | 15.93 | 0.189 | जीतमल | |
| 1713 | 25.00 | 0.561 | | |
| 1715 | 5.62 | 0.143 | | |
| | 241.328 | 5.999 | | |

प्रस्ताव (3) - अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में उक्त शक्तियों के अनुसरण एवं नियम 11(5) में विनिर्दिष्ट के निर्देशन में वन अधिकार समिति द्वारा प्राप्त अनापत्ति से अधिकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरण पर विचार किया और पाया कि जल संसाधन विभाग द्वारा -(1) नीचे दिए गए विवरण की वन भूमि को 13.12.2005 से पूर्व अपने अधिभोग में ली रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है एवं (3) अपनी आजीविका की वास्तविक आवश्यकता को के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है। अतः ग्रामसभा द्वारा जल संसाधन विभाग को ... में ... अधिकारों

रामचन्द्र, सोहन, गोपाल, रामप्रसाद, रा. छेदू, गीता, पन्ना, रामदेव, पेमा

जोदिया, किशनलाल, बद्रीलाल, मोहनलाल, देवचन्द्र, बद्रीलाल, गोपाल, नि. जगनलाल, रामलाल, कंवरलाल, मोहन, नि. नन्दूबाई, नि. ... लाल

| खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (है) | अधिभोग (है) | अधिभोग का प्रकार | नाम | नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 8.950 | 0.185 | टांडू | | घन्ना |
| 107 | 5.808 | 0.492 | सिंचाई | | जानसा |
| 106 | 11.526 | 0.176 | | [illegible] | |
| 112 | 9.266 | 0.055 | बहरों | | |
| 186 | 14.711 | 0.447 | हेड | | |
| 196 | 13.997 | 0.516 | | | [illegible] |
| 194 | 15.552 | 0.481 | [illegible] | मसतराम | |
| 195 | 10.935 | 0.254 | | | |
| 214 | 15.552 | 0.458 | [illegible] | | |
| 217 | 10.06 | 0.046 | शिवराज | [illegible] | नौबतराम |
| 216 | 11.632 | 0.366 | | | लक्ष्मीसेन |
| 255 | 15.795 | 0.326 | | | |
| 250 | 8.358 | 0.194 | | | राजेन्द्र |
| 230 | 10.368 | 0.294 | कजोड़ | | |
| 231 | 7.776 | 0.324 | | जयलाल | |
| 232 | 10.368 | 0.300 | | | |
| 233 | 6.002 | 0.102 | | | [illegible] |
| 224 | 11.34 | 0.444 | देवराज | | |
| | 197.988 | 5.874 | | मोतीलाल | |
| | | | | फोन्दा | [illegible] |
| | | | | इमलीलाल | [illegible] |
| | | | | राजेन्द्र | रघुनाथ |
| | | | | | रामपाल |
| | | | | | [illegible] |

प्रस्ताव ③ - अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण एवं नियम 11(5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के निर्वहन में वन अधिकार समिति [illegible]

के वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरण पर विचार किया और ग्राम पंचायत जल संसाधन विभाग (1) नीचे दिए गए विवरण की वन भूमि को 13.12.2005 से पूर्व से उनके अधिभोग में ले रहा है। (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है। एवं अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है। अतः ग्रामसभा द्वारा जल संसाधन विभाग को ग्राम टोलापिपुरा में उनके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है -

| ग्राम | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल (H) | अधिभोग (H) | अधिभोग का प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|
| टोलापिपुरा | 293 | 3.337 | 0.202 | लघु निर्माण |
| | 292 | 32.27 | 0.826 | कार्यों हेतु |
| | 290 | 5.929 | 0.312 | सार्वजनिक |
| | 291 | 22.048 | 0.030 | उपयोग |
| | 294 | 19.278 | 0.198 | |
| | | 82.862 | 1.568 | |

प्रस्ताव (5) - अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन ... अधिनियम 2006

ग्राम मैंकडुरा ब्लाक में वन अधिकार समिति द्वारा अभिस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरण पर विचार किया और पाया कि जल संसाधन विभाग (1) नीचे दिए गए विवरण की वनभूमि को 13.12.2005 से पूर्व से अधिभोग में ले रहा है। (2) उक्त भूमि पर अधिनियम लागू होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है। एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है। अतः ग्राम सभा द्वारा जल संसाधन विभाग को ग्राम मैंकडुरा ब्लाक में उनके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का फैसला पारित किया है -

| खसरा नम्बर | क्षेत्रफल (H) | अधिभोग | अधिभोग का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 318 | 11.664 | 0.090 | लघु सिंचाई नहर हेतु सार्वजनिक उपयोग |
| 168 | 30.326 | 0.822 | |
| 310 | 21.4 | 0.498 | |
| 308 | 19.16 | 0.619 | |
| 316 | 8.936 | 0.175 | |
| 317 | 9.88 | 0.282 | |
| | 101.366 | 2.486 | |

PDF Compressor Free Version



अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण एवं नियम 11(5) में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन में वन अधिकार समिति द्वारा अग्रेषित ग्राम मण्डावरी में वन भूमि पर अधियोग के प्रकरण पर विचार किया और पाया कि जल संसाधन विभाग (1) नीचे दिए गए विवरण की वन भूमि को 13.12.2005 से पूर्व से अपने अधियोग में ले रहा है। (2) उक्त भूमि पर अधियोग निरन्तर जारी होने की तिथि 31.12.2007 तक कायम है एवं (3) इसकी आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है। अतः ग्राम सभा द्वारा जल संसाधन विभाग को ग्राम मण्डावरी में उसके अधियोग में निम्न प्रकार भूमि पर वन अधिकार दिए जाने का संकल्प पारित किया जाता है—

| खसरा नम्बर | क्षेत्रफल (ह) | अधियोग (ह) | अधियोग का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 23 | 109.795 | 1.036 | लोक सिंचाई |
| 16 | 19.45 | 0.349 | नहरों हेतु |
| 1 | 34.789 | 0.791 | सार्वजनिक |
| 2 | 22.413 | 0.174 | उपयोग |
| | 186.434 | 2.35 | |

PDF Compressor Free Version

(10)

सिंचाई नहरों हेतु सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्ताव सं. 1 से 5 तक वर्णित वन भूमि के प्रत्यावर्तन/ वन अधिकार दिए जाने पर ग्राम पंचायत भैरूपुरा खरड़ को कोई आपत्ति नहीं है एवं वर्णित वन भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारीत किया जाता है।

प्रस्ताव (6) ग्रामसभा के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत SECC- 2011 से प्राप्त लाभार्थियों की पात्रता की जांच कर सूची को पढ़कर सुनाया गया। बाद अवलोकन सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

ग्रामसभा बैठक धन्यवाद समाप्त हुई।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पं. भैरूपुरा खरड़ पं. स. बून्दी
जिला बून्दी (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत भैरूपुरा खरड़
पं.स.बून्दी जिला बून्दी (राज.)

उदयलाल, सेवाराम, महावीर, रामभरोसी, गोपाल, कल्याण, मोहनी, राजेन्द्र, रामलाल, मदनलाल, शंकर, भैरधा, शोभलाल, सुकेश, जगन्नाथ, प्रेमचन्द, श्यामलाल, भवानी, गोपाल

156

# बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

पंचायत [illegible] पंचायत समिति [illegible] जिला [illegible] वर्ष 201[illegible]

| बैठक होने की तारीख | बैठक का स्थान | पंच/सरपंच का नाम | उपस्थित सदस्यों के नाम | बैठक की कार्यवाही का विवरण | बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [illegible] | | | | प्रस्ताव सं. 5 [illegible] 1011 [illegible] 493 [illegible] 1910 [illegible] 1011/493 [illegible] | [illegible] |
| | | | | प्रस्ताव सं. 6 [illegible] | |

(15) [illegible] [redacted] [illegible]

ग्राम सभा के सर्व सम्मति से प्रस्ताव
पारित किया गया कि [illegible] अतिरिक्त
मकान के पीछे ग्राम गुवार के [illegible] पर
कॉरिडोर निर्माण करवाया जावे।
अनुमानित लागत 3.00 लाख

प्रस्ताव सं. 5

ग्राम सभा के सर्व सम्मति से प्रस्ताव
पारित किया गया कि ग्राम गुवार
के [illegible] की [illegible] के [illegible]
(के) [illegible] के [illegible] हेतु [illegible]
नाला निर्माण करवाया जावे।
अनुमानित लागत 3.00 लाख

प्रस्ताव सं. 6

ग्राम सभा के समक्ष सामान्य [illegible]
(1) के [illegible] [illegible]
एवं आवश्यकता [illegible]
शासन द्वारा निर्धारित [illegible]
[illegible] के [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] के [illegible]
किया।

PDF Compressor Free Version

(158)

विजय स्टेशनरी मार्ट आर्य समाज रोड, कोटा मोबा. 9352626684

(15)

# बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

…यत [illegible] पंचायत समिति बूंदी जिला बूंदी वर्ष 2016-17

| बैठक की तारीख | बैठक का स्थान | पंच/सरपंच का नाम | उपस्थित सदस्यों के नाम | बैठक की कार्यवाही का विवरण | बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5/18 | | | | प्रस्ताव संख्या 7<br>आज सभा में कार्यालय जि.प. परिषद बूंदी के पत्र क्र. 960/26/5/16 को पढ़कर सुनाया गया।<br>[illegible] | |

(159)

[illegible]

मौजा [illegible]

| क्र.सं. | खे.नं. | क्षेत्रफल | रकबा | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 5.649 डिसि. | 0.229 हे. | [illegible] |
| 2 | 31 | 5.706 डिसि. | 0.408 हे. | —"— |
| 3 | 32 | 5.087 डिसि. | 0.402 हे. | —"— |
| कुल योग 3 | | 14.442 डिसि. | 1.039 हेक्टेयर | |

[illegible] 1.039 [illegible]

| क्र.सं. | खे.नं. | क्षेत्रफल | रकबा | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 9.072 डिसि. | 0.348 हे. | [illegible] |
| 2 | 04 | 1.628 डिसि. | 0.227 हे. | —"— |
| कुल रकबा 2 | | 10.7 डिसि. | 0.575 हेक्टेयर | |

[illegible] 1.039 हेक्टेयर तथा 0.575 हेक्टेयर [illegible]

[illegible]

PDF Compressor Free Version



# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी

क्रमांक / 2016--17 / दिनांक- 11-8-16

## बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 4.08.2016 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बून्दी की अध्यक्षता मे उपखण्ड स्तरीय कमेटी (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012) की बैठक समय 11.30 A.M पर अटल सेवा केन्द्र बून्दी मे रखी गई। बैठक मे उपखण्ड स्तरीय कमेटी के निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बून्दी श्री रवि वर्मा, (अध्यक्ष)
2. विकास अधिकारी, बून्दी श्री हितेन्द्र मेहरा, (सचिव)
3. क्षैत्रीय वन अधिकारी, डाबी श्री मुकेश कुमार सुमन, (सदस्य)
4. सूश्री सावित्री मीणा उपप्रधान बून्दी (सदस्य)
5. पंचायत समिति सदस्य, श्री नन्द किशोर राहल (सदस्य)

समिति के सदस्यो के द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006, नियम 2008, संशोधित नियम 2012, के अन्तर्गत गरडदा बांध की नहरो की भूमि प्रत्यावर्तन से संबधित पत्रावली व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बून्दी जिले मे नमाना से गुंवार तक सडक निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन की पत्रावली का विस्तृत अध्ययन व विचार विमर्श करने पर कमेठी के द्वारा निम्न निर्णय लिया गया।

1. **गरडदा बांध की नहरो की भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध :–**

(1) **ग्राम अनोपपुरा** :– ग्राम अनोपपुरा की वन अधिकार समति की अभिस्वीकृति व ग्राम पंचायत भैरूपुरा बरड की ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प का विस्तृत अध्ययन करने पर उपखण्डिय स्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

| ग्राम का नाम | खसरा नं0 | खसरा नं0 का कुल क्षैत्रफल | प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का क्षैत्रफल(हैक्टैयर) | अधिभोग का प्रकार | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| अनोपपुरा | 65 | 8.950 | 0.185 | गरडदा बांध की नहरो हेतु | |
| | 107 | 5.808 | 0.492 | | |
| | 106 | 11.526 | 0.176 | | |
| | 112 | 9.266 | 0.055 | | |
| | 186 | 14.701 | 0.447 | | |
| | 196 | 13.927 | 0.516 | | |
| | 194 | 15.552 | 0.481 | | |
| | 195 | 10.935 | 0.254 | | |
| | 214 | 15.552 | 0.458 | | |
| | 217 | 10.06 | 0.046 | | |
| | 216 | 11.632 | 0.366 | | |

PDF Compressor Free Version



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 255 | 15.795 | 0.326 | | |
| | 250 | 8.358 | 0.194 | | |
| | 230 | 10.368 | 0.294 | | |
| | 231 | 7.776 | 0.324 | | |
| | 232 | 10.368 | 0.300 | | |
| | 233 | 8.002 | 0.102 | | |
| | 224 | 11.34 | 0.444 | | |
| योग | | | 5.46 | | |

(2) <u>ग्राम बांकी</u> :– ग्राम बांकी की वन अधिकार समति की अभिस्वीकृति व ग्राम पंचायत भैरूपुरा बरड की ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प का विस्तृत अध्ययन करने पर उपखण्डिय स्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

| ग्राम का नाम | खसरा नं0 | खसरा नं0 का कुल क्षेत्रफल | प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का क्षेत्रफल | अधिभोग का प्रकार | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| बांकी | 15 | 34.781 | 0.664 | गरडदा बांध की नहरो हेतु | |
| | 16 | 34.992 | 0.545 | | |
| | 11 | 28.787 | 0.424 | | |
| | 2 | 3.63 | 0.201 | | |
| | 3 | 33.259 | 0.295 | | |
| | 1 | 40.346 | 1.562 | | |
| | 5 | 21.983 | 0.495 | | |
| | 1712 | 14.93 | 0.199 | | |
| | 1713 | 24.00 | 0.561 | | |
| | 1716 | 4.62 | 0.143 | | |
| योग | | | 5.089 | | |

(3) <u>ग्राम मण्डावरी</u> :– ग्राम मण्डावरी की वन अधिकार समति की अभिस्वीकृति व ग्राम पंचायत भैरूपुरा बरड की ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प का विस्तृत अध्ययन करने पर उपखण्डिय स्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

| ग्राम का नाम | खसरा नं0 | खसरा नं0 का कुल क्षेत्रफल | प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का क्षेत्रफल | अधिभोग का प्रकार | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| मण्डावरी | 23 | 109.795 | 1.036 | गरडदा बांध की नहरो हेतु | |
| | 16 | 19.44 | 0.349 | | |
| | 1 | 34.789 | 0.791 | | |
| | 2 | 22.413 | 0.174 | | |
| योग | | | 2.35 | | |

PDF Compressor Free Version



(4) होलासपुरा :– ग्राम होलासपुरा की वन अधिकार समति की अभिस्वीकृति व ग्राम पचायत भैरूपुरा बरड की ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प का विस्तृत अध्ययन करने पर उपखण्डिय स्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

| ग्राम का नाम | खसरा नं0 | खसरा नं0 का कुल क्षैत्रफल | प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का क्षैत्रफल | अधिभोग का प्रकार | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| होलासपुरा | 293 | 3.337 | 0.202 | गरडदा बांध की नहरो हेतु | |
| | 292 | 32.27 | 0.826 | | |
| | 290 | 5.929 | 0.312 | | |
| | 291 | 22.048 | 0.030 | | |
| | 294 | 19.278 | 0.198 | | |
| योग | | | 1.568 | | |

(5) भैरूपुरा बरड :– ग्राम भैरूपुरा बरड की वन अधिकार समति की अभिस्वीकृति व ग्राम पंचायत भैरूपुरा बरड की ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प का विस्तृत अध्ययन करने पर उपखण्डिय स्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

| ग्राम का नाम | खसरा नं0 | खसरा नं0 का कुल क्षैत्रफल | प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का क्षैत्रफल | अधिभोग का प्रकार | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| भैरूपुरा बरड | 318 | 11.664 | 0.090 | गरडदा बांध की नहरो हेतु | |
| | 168 | 30.326 | 0.822 | | |
| | 310 | 21.4 | 0.498 | | |
| | 308 | 19.16 | 0.619 | | |
| | 316 | 8.936 | 0.175 | | |
| | 317 | 9.88 | 0.282 | | |
| योग | | | 2.486 | | |

(6) श्रवण की झोपडियां :– ग्राम श्रवण की झोपडियां की वन अधिकार समति की अभिस्वीकृति व ग्राम पंचायत लोईचा की ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प का विस्तृत अध्ययन करने पर उपखण्डिय स्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

| ग्राम का नाम | खसरा नं0 | खसरा नं0 का कुल क्षैत्रफल | प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का क्षैत्रफल | अधिभोग का प्रकार | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रवण की झोपडियां | 30 | 4.649 | 0.229 | गरडदा बांध की नहरो हेतु | |
| | 31 | 4.706 | 0.408 | | |
| | 32 | 4.087 | 0.402 | | |
| योग | | | 1.039 | | |

PDF Compressor Free Version



(7) लोईचा – ग्राम लोईचा की वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति व ग्राम पंचायत लोईचा की ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प का विस्तृत अध्ययन करने पर उपखण्डिय स्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

| ग्राम का नाम | खसरा नं0 | खसरा नं0 का कुल क्षैत्रफल | प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का क्षैत्रफल(हैक्टेयर) | अधिभोग का प्रकार | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| लोईचा | 1 | 9.072 | 0.348 | गरडदा बांध की नहरो हेतु | |
| | 4 | 1.628 | 0.227 | | |
| योग | | | **0.575** | | |

उक्त 7 ग्रामो (अनोपपुरा, बाकी, मण्डावरी, हीलासपुरा, भैरूपुरा बरड, श्रवण की झो0, लोईचा) की गरडदा बांध की नहरो हेतु 18.573 हैक्टेयर वन भूमि को प्रत्यावर्तन करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

2. **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बून्दी जिले मे नमाना से गुंवार तक सडक निर्माण हेतु 4.65 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में** :– संबंधित पत्रावली का विस्तृत अध्ययन एवं विचार–विमर्श करने व ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर उपखण्डिय स्तरीय समिति द्वारा 4.65 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

उक्त कार्यवाही को विकास अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। एवं **श्रीमान उपखण्ड अधिकारी** महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक समापन की घोषणा की गई।

सावित्री मीणा उपप्रधान

उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

क्रमांक/पं.स.बू./ 2016–17/ 9031–38 दिनांक :– 11–8–16

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद बून्दी।
3. श्रीमान मण्डल वन अधिकारी, बून्दी।
4. क्षैत्रीय वन अधिकारी डाबी, बून्दी।
5. उपखण्ड स्तरीय समिति के मनोनीत सदस्य सुश्री सावित्री (उपप्रधान), श्री सूरज सिंह एवं नन्दकिशोर रावल।
6. श्रीमान् अधिशाषी अभियंता, सा0नि0वि0 खण्ड, बून्दी।
7. श्रीमान अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी।
8. कार्यालय प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
बून्दी